

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

पत्रांक: 170/न0पा0परि0/कर0वि0/2018

दिनांक: 7 मार्च, 2018

1. श्री बशेश्वर दयाल तायल पुत्र श्री रघुवर दयाल, निवासी- 22/4, मालवीय नगर, ऐशबाग, लखनऊ।
2. श्री विनोद तायल पुत्र श्री रघुवर दयाल, निवासी- जटबाडा सब्जी मण्डी, गाजियाबाद।
3. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री चेतन कुमार गुप्ता, निवासी- आर0आई0 78, राजनगर, गाजियाबाद।
4. श्रीमती कुमुद गर्ग पत्नी श्री शिवकान्त गर्ग, निवासी- मौ0 ब्राहमी चौपाल, मेरठ पुलिस चौकी, हापुड।
5. श्रीमती अनिता पत्नी श्री संजय गर्ग, निवासी- खुर्जा मोड, सिकन्दराबाद, बुलन्द शहर।
6. श्रीमती सुनिता पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी- सी0-474, भजनपुरा, दिल्ली।
7. श्रीमती रेखा पत्नी श्री राजकुमार, निवासी- डी0-05, गली नं0 01, अशोक नगर, दिल्ली।
8. श्रीमती मीना पत्नी श्री सुनील, निवासी- सी0-86, मेन गांवडी रोड, भजनपुरा दिल्ली।

## नाम परिवर्तन नोटिस धारा 147(बी)

**विषय:-** नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147(बी) के अंतर्गत के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि मौ0 आदर्शनगर में भवन सं0 432 1/2, कम सं0 525 पर नगर पालिका परिषद के गृहकर अभिलेखों में श्री रघुवर दयाल पुत्र श्री कूडेमल का नाम दर्ज है। श्री राम अवतार तायल 1/2 व कैलाश चन्द तायल 1/2 पुत्रगण श्री रघुवर दयाल द्वारा उक्त भवन पर अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड बैनामा/वसीयत प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न किया गया है। श्री राम अवतार तायल 1/2 व कैलाश चन्द तायल 1/2 पुत्रगण श्री रघुवर दयाल के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2018 के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर भवन सं0 432 1/2, क्र0सं0 525, मौहल्ला आदर्शनगर पर पालिका गृहकर अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है।

अतः उपरोक्त नामांतरण के सम्बन्ध में इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर यदि आपको कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें। समयवाधि पश्चात आपकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए गृहकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

**प्रतिलिपि:-**

1. श्री रामअवतार तायल व श्री कैलाश चन्द तायल पुत्रगण श्री रघुवर दयाल, निवासी- गली नं0 02, आदर्शनगर, मोदीनगर, गाजियाबाद।
2. श्री अंकित कुमार राजस्व निरीक्षक व श्री सुशील कुमार शर्मा सम्पत्ति लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित की प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या 01 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उक्त सम्पत्ति पर कोई वाद-विवाद अथवा सरकारी सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में कोई वाद विवाद/सरकारी सम्पत्ति पाये जाने पर समस्त आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. श्री अंकित गोयल को इस आशय के साथ प्रेषित की नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाईट [www.nppmodinagar.com](http://www.nppmodinagar.com) पर सूचना को अपलोड करें।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।